

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2017—माघ 11, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2017

संशोधित आदेश

अधिसूचना क्र. 04-एफ-1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अंक क्रमांक 523 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 39 एफ-1-13-2016-अठारह-3, दिनांक 16 दिसम्बर 2016 से नगरपालिक निगम सागर में एल्डरमेन मनोनीत किये गये थे, जिसमें नगरपालिक निगम सागर के मनोनीत एल्डरमेन का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है, के स्थान पर क्रमांक (4) में अंकित संशोधित नाम एवं पता पढ़ा जाये:—

क्र.	नगरपालिक निगम का नाम	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	संशोधित नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नगरपालिक निगम, सागर	श्री प्रभु सिंह, श्री धरमलाल साहू, भूतेश्वर मंदिर के पास, संत रविदास वार्ड, सागर.	श्री प्रभुदयाल साहू, पिता स्वर्गीय श्री धर्मलाल साहू, भूतेश्वर मंदिर के पास, संत रविदास वार्ड, सागर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, अपर सचिव.